मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

अनोखी बनाम राज० सरकार वगै०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act. नं० 76/2023 सन् 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण सं. 2,3,6,7,8,9,11,14 की ओर से एड. श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा एवं अप्रार्थीगण सं. 2,3,6,7,8,9,11,14 की ओर से जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर पूर्व में पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है। शेष अप्रार्थीगण सं. 1,4,5,10,12,13,15 बावजूद उन्हें रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं। तलबी को एक माह से अधिक समय हो चुका है। अतः अप्रार्थीगण सं. 1,4,5,10,12,13,15 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4.10-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी | |
| 4/10/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी हु |
|---|---|---|
| | उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा०पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा०पत्र एवं काउन्टर प्रा०पत्र के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा-128 L.R. Act एवं अप्रार्थीगण काउन्टर प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। <br><br> 21.10.24 <br> उपखण्ड अधिकारी <br> बाँदीकुई | |

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-76/2023
प्रकरण दायर दिनांकः- 08.12.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः-21.10.2024

**उनवान**

1. अनोखी पत्नि कर्णसिंह
2. कन्हैया पुत्र ओंकार
3. कबूल पुत्री कर्णसिंह
4. कौशल्या पुत्री रामकिशन
5. गीता पुत्री कर्णसिंह
6. धोली पुत्री कर्णसिंह
7. बदाम पुत्र रामकिशन
8. राजन्ती पुत्री रामकिशन
9. रामकरण पुत्र अर्जुन
10. रामेश्वर पुत्र रामकिशन
11. लक्ष्मण पुत्र घासी
12. लाली पुत्री रामकिशन
13. श्रीचन्द पुत्र घासी
14. सुरजा पुत्र हरबक्स
15. सीताराम पुत्र रामकिशन
16. हरिसिंह पुत्र जौहरी

समस्त जाति गुर्जर निवासी झूंपडी तहसील बॉदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।
2. कमला पुत्री श्रीया
3. कैलाश पुत्र श्रीया
4. किशोर पुत्र गणेश
5. कौरी पत्नि जगदेव
6. गोकुल पुत्र छीतर
7. ज्ञानसिंह पुत्र श्रीया
8. धर्मा पत्नि श्रीया
9. परसादी पुत्र छीतर
10. बच्ची पुत्री श्रीया
11. मदन पुत्र जगदेव
12. चेतन पुत्र रामखिलाडी
13. खेमराज पुत्र रामखिलाडी
14. सन्ती पुत्री श्रीया
15. हीरादेवी पत्नि श्रीया

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति गुर्जर निवासी झूंपडी तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट, पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट, पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता सं. नया 4 पुराना 4 खसरा नंबरान 267, 271, 274, 282 लगा. 285, 363 लगा. 377, 382 कुल किता–23 कुल रकबा 5.75 हैक्टेयर वाके ग्राम झूंपडीन तह. बॉंदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। भूमि मुतदाविया प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही जिसे प्रार्थीगण अपने बुजुर्गान के समय से ही काश्त कर व प्राकृतिक पैदावार, पेड पौध, घास फूस आदि से होने वाली उपज से बिना किसी विघ्न व बाधा के लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। भूमि मुतदाविया प्रार्थीगण की तन्हा कब्जें काश्त खातेदारी की भूमि है जिससे किसी दीगर शख्स का कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार नहीं है। भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकारों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में डौल पाल को तोड कर अतिक्रमण किया जाता रहा है जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण ने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार बॉंदीकुई के समक्ष आवेदन किया जिस पर तहसीलदार बॉंदीकुई के आदेश के द्वारा दिनांकः 04.10.2023 को राजस्व टीम द्वारा ग्राम झूंपडीन बासडा, मूण्डघिस्या व आभानेरी के द्वारा ग्राम झूंपडीन स्थित भूमि मुतदाविया खसरा नं. 267, 271, 274, 282 लगा. 285, 363 लगा. 377, 382 कुल किता–23 कुल रकबा 5.75 हैक्टेयर का मौके पर प्रार्थीगण एवं अन्य ग्राम वासियों की मौजूदगी में भूमि मुतदाविया का सीमाज्ञान कर चारों ओर सीमाऐं चिन्हित की गई। भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकार झगडालू किस्म के लोग हैं जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि मुतदाविया पर जबरन काबिज होना चाहते हैं तथा मना करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो जाते हैं व राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान कर चिन्हित किये गये निशानात को भी मानने को तैयार नहीं है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की भूमि मुतदाविया की पत्थरगढी जरिये अप्रार्थी सं. 01 तहसीलदार बॉंदीकुई एवं पुलिस इमदाद से मौके पर करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 01 को आदेशित फरमाया जावे कि वह स्वयं मौके पर पुलिस इमदाद लेकर भूमि मुतदाविया में अतिशीध्र पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 15 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदेव कसाना ने अण्डरटेकिंग दी। अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण सं. 1, 4, 5, 10, 12, 13, 15 बावजूद तलबी जर्ये रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1, 4, 5, 10, 12, 13, 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14 की ओर से जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर पेश किया गया के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार हैं। अप्रार्थीगण शुरू से ही सीमा विवाद का निराकरण करने के पक्ष में रहे हैं। जिसके लिए अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी के सीमाज्ञान हेतु कई मर्तबा तहसीलदार बॉंदीकुई अप्रार्थी सं. 01 के यहॉं आवेदन किया हुआ है। परन्तु आज दिन तक अप्रार्थीगण की आराजी भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। दिनांकः04.10.2024 को राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अप्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 01 की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने मनमाफिक सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की आराजी पर जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है ना ही प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा किया है। वाके ग्राम झूपडीन तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा के नये खाता सं. 92 पुराने 93 जिसके खसरा नं. 268, 269, 270, 273, 275 लगा. 281, 289, 378, 379, 380, 388, 389, 394, 395 कुल किता 19 कुल रकबा 5.69 हैक्टेयर स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण का बतौर काश्तकार अंकन है। अप्रार्थीगण जो

४५६-

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण के पडौसी काश्तकार हैं अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि का सक्षम राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर दोनों पक्षों की काश्त के स्थाई सीमा चिन्ह के लिए मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। जिससे भविष्य में सीमा विवाद न हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों की आराजी का दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह के लिये पत्थरगढी करवाये जाने की कृपा करे। प्रकरण में उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2074–77 ग्राम झूंपडीन खाता सं. नया 04 पुराना 04 एवं खाता सं. नया 92 पुराना 93, मौका फर्द सीमाज्ञान ग्राम झूंपडीन दिनांकः 04.10.2023 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबनदी संवत 2074–77 ग्राम झूंपडीन खाता सं. नया 04 पुराना 04 एवं खाता सं. नया 92 पुराना 93 के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका फर्द सीमाज्ञान ग्राम झूंपडीन दिनांकः 04.10.2023 के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर पेश कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों की आराजी का दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह के लिये पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार है। अप्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। उभयपक्षकारान की खातेदारी भूमि के सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए उभयपक्षकारान की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का उभयपक्षकारान को एल.आर एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति एवं काउन्टर में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी के अवलोकन के आधार पर उभयपक्षकारान की आराजी का पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता सं. नया 4 पुराना 4 खसरा नंबर 267, 271, 274, 282 लगा. 285, 363 लगा. 377, 382 कुल किता–23 कुल रकबा 5.75 हैक्टेयर वाके ग्राम झूंपडीन तह. बॉदीकुई जिला दौसा एवं अप्रार्थीगण 2 लगा. 15 की दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी भूमि खाता सं. नया 92 पुराना 93 के खसरा नं. 268, 269, 270, 273, 275 लगा. 289, 378, 379, 380, 388, 389, 394, 395 कुल किता 19 कुल रकबा 5.69 हैक्टेयर वाके ग्राम झूंपडीन तहसील बॉदीकुई जिला दौसा का विधिवत सीमाज्ञान कर पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई उक्त पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को पत्र जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

21.10.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई